भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3478
(17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण परिवारों को बिजली और पानी की आपूर्ति

3478. श्री अभिषेक बनर्जी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 24/7 बिजली आपूर्ति से वंचित ग्रामीण परिवारों का राज्य-वार ब्यौरा और कुल संख्या क्या है;

(ख) देश में नल जल कनेक्शन से वंचित ग्रामीण परिवारों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इनकी कुल संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 24/7 बिजली और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग): जहां तक ग्रामीण परिवारों को बिजली आपूर्ति का संबंध है, विद्युत मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, भारत सरकार ने हमेशा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) आदि योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता की है, ताकि उन्हें सभी आवासों को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिल सके। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश के सभी गैर-विद्युतीकृत आबादीयुक्त गांवों में 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकरण कर दिया गया। डीडीयूजीजेवाई के दौरान कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया (राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में संलग्न है)। डीडीयूजीजेवाई और उसके बाद सौभाग्य के

तहत, जैसा कि सभी राज्यों द्वारा बताया गया है, सभी इच्छुक आवासों का विद्युतीकरण 31 मार्च, 2019 तक पूरा कर लिया गया था। सौभाग्य योजनाअवधि के दौरान कुल 2.86 करोड़ आवासों का विद्युतीकरण किया गया (राज्य-वार विवरण **अनुबंध-II** में संलग्न है)। दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार दोनों योजनाएं बंद हो चुकी हैं।

भारत सरकार जुलाई, 2021 में शुरू की गई पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) की चल रही योजना के तहत, सौभाग्य योजना के दौरान छूटे हुए आवासों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों को सहायता दे रही है। इसके अलावा, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान) के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित सभी चिन्हित परिवारों और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत जनजातीय परिवारों को योजना दिशानिर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के तहत ऑन-ग्रिड बिजली कनेक्शन के लिए मंजूरी दी जा रही है। आज तक, पीएम-जनमन के तहत चिन्हित पीवीटीजी परिवारों और डीए-जेजीयूए के तहत चिन्हित आदिवासी परिवारों सहित 9,49,548 आवासों के विद्युतीकरण के लिए 4,281 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी गई है (राज्य-वार विवरण **अनुबंध-III** के रूप में संलग्न है)। इसके अलावा, नई सौर ऊर्जा योजना के अंतर्गत 9,863 आवासों के लिए ऑफ-ग्रिड सौर आधारित विद्युतीकरण हेतु 49 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए हैं (राज्य-वार विवरण **अनुबंध**-IV में संलग्न है)।

जहां तक ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने का संबंध है , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग , जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार , पानी राज्य का विषय है। राज्य ही पेयजल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाते हैं , डिजाइन करते हैं, अनुमोदन करते हैं और उनका कार्यान्वयन करते हैं। भारत सरकार वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है।

भारत सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल को अगस्त 2019 से, कार्यान्वित कर रही है, ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण आवास में कार्यात्मक नल जल कनेक्शन के माध्यम से यानी 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) के सेवा स्तर पर, निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएसः 10500) के साथ, नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य पानी का प्रावधान किया जा सके ।

अगस्त 2019 में,जल जीवन मिशन योजन की शुरुआत के समय केवल 3.23 करोड़ (16.8%) ग्रामीण आवासों में नल के जल कनेक्शन होने की सूचना थी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 11.12.2024 तक दी गई जानकारी के अनुसार, जल जीवन मिशन (जेजेएम)- हर घर जल के अंतर्गत अब तक लगभग 12.12 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। इस प्रकार, 11.12.2024 तक देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.35 करोड़ (79.31%) से अधिक परिवारों के आवासों में नल से जल आपूर्ति होने की सूचना है और शेष 4.01 करोड़ परिवारों को राज्यों द्वारा उनकी योजनाओं के अनुसार शामिल किए जाने की संभावना है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-V** में दिया गया है।

इसके अलावा, पूरे देश में जेजेएम की योजना बनाने और उसे लागू करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों की संतृप्ति योजनाओं और वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) पर संयुक्त चर्चा और उन्हें अंतिम रूप देना, कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, प्रशिक्षण, जानकारी साझा करना, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक टीम द्वारा क्षेत्र का दौरा आदि शामिल हैं। जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश; ग्रामीण आवासों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) के लिए मार्गदर्शन और आंगनबाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं और स्कूलों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान पर दिशानिर्देश जल जीवन मिशन की योजना और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए हैं। ऑनलाइन निगरानी के लिए जेजेएम-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) और जेजेएम-डैशबोर्ड स्थापित किया गया है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से पारदर्शी ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन का भी प्रावधान किया गया है।

*****

लोक सभा में दिनांक 17.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3478 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-I

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत आबादी वाले जनगणना गांवों का राज्यवार विद्युतीकरण		
क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**विद्युतीकृत गावों की संख्या**
1	अरुणाचल प्रदेश	1,483
2	असम	2,732
3	बिहार	2,906
4	छत्तीसगढ़	1,078
5	हिमाचल प्रदेश	28
6	जम्मू और कश्मीर	129
7	झारखंड	2,583
8	कर्नाटक	39
9	मध्य प्रदेश	422
10	महाराष्ट्र	80
11	मणिपुर	366
12	मेघालय	1,051
13	मिजोरम	54
14	नागालैंड	78
15	ओडिशा	3,281
16	राजस्थान	427
17	त्रिपुरा	26
18	उत्तर प्रदेश	1,498
19	उत्तराखंड	91
20	पश्चिम बंगाल	22
	कुल	**18,374**

अनुबंध-।।

लोक सभा में दिनांक 17.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3478 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-।।

सौभाग्य योजना के शुभारंभ के बाद से विद्युतीकृत किए गए परिवार, जिनमें डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त परिवार भी शामिल हैं।

क्र.सं.	राज्यों के नाम	विद्युतीकृत किए गए परिवार
1	आंध्र प्रदेश*	1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	23,26,656
4	बिहार	32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,92,368
6	गुजरात*	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	3,77,045
10	झारखंड	17,30,708
11	कर्नाटक	3,83,798
12	लद्दाख	10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922
15	मणिपुर	1,08,115
16	मेघालय	2,00,240
17	मिजोरम	27,970
18	नागालैंड	1,39,516
19	ओडिशा	24,52,444
20	पुडुचेरी*	912
21	पंजाब	3,477
22	राजस्थान	21,27,728
23	सिक्किम	14,900
24	तमिलनाडु*	2,170
25	तेलंगाना	5,15,084

26	त्रिपुरा	1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	91,80,571
28	उत्तराखंड	2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290
कुल		**2,86,13,424**

*** सौभाग्य योजना के अंतर्गत निधि नहीं दी गई।**

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 17.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3478 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-III

पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत स्वीकृत परिवार विद्युतीकरण।

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत व्यय (करोड़ रुपए)	स्वीकृत परिवारों की संख्या
क.	**अतिरिक्त परिवार**		
1	राजस्थान	459	1,90,959
2	मेघालय	436	50,501
3	मिजोरम	80	15,167
4	नागालैंड	70	10,004
5	उत्तर प्रदेश	931	2,51,487
6	आंध्र प्रदेश	49	15,475
7	झारखंड	7	872
8	जम्मू एवं कश्मीर	77	10,730
9	बिहार	239	35,467
10	असम	786	1,27,111
11	अरुणाचल प्रदेश	47	6,506
12	मणिपुर	214	36,972
13	छत्तीसगढ़	317	63,161
	कुल (क)	**3,712**	**8,14,412**
ख.	**जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत**		
1	हिमाचल प्रदेश*	6	-
2	अरूणाचल प्रदेश	20	1,683
3	उत्तराखंड	13	1,154

	कुल (ख)	**39**	**2,837**
ग.	**पीएम-जनमन के अंतर्गत**		
ग1	**आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृति**		
1	आंध्र प्रदेश	89	25,054
2	बिहार	0.28	51
3	छत्तीसगढ़	38	7,077
4	झारखंड	74	12,442
5	मध्य प्रदेश	143	29,290
6	महाराष्ट्र	27	8,556
7	राजस्थान	40	17,633
8	कर्नाटक	4	1,615
9	केरल	1	345
10	तमिलनाडु	30	10,673
11	तेलंगाना	7	3,884
12	त्रिपुरा	62	11,664
13	उत्तराखंड	1	669
14	उत्तर प्रदेश	1	316
	कुल योग (ग1)	**516**	**1,29,269**
ग2	**राज्य योजना के अंतर्गत**		
1	गुजरात	0	0
2	ओडिशा	0	0
3	पश्चिम बंगाल	0	0
	कुल योग (ग2)	**0**	**0**
	कुल (ग=ग1+ग2)	**516**	**1,29,269**

घ.	**डीए-जेजीयूए के अंतर्गत**		
1	छत्तीसगढ़	12	2,550
2	महाराष्ट्र	2	480
	कुल (घ)	**14**	**3,030**
	कुल योग (ग+ख+ग+घ्)	**4,281**	**9,49,548**

अनुबंध-IV

लोक सभा में दिनांक 17.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3478 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-IV

नई सौर ऊर्जा योजना के तहत स्वीकृत ऑफ-ग्रिड सौर आधारित घरेलू विद्युतीकरण।

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत परिवारों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1,675
2	छत्तीसगढ़	1,578
3	झारखंड	2,342
4	कर्नाटक	179
5	मध्य प्रदेश	2,060
6	तेलंगाना	326
7	त्रिपुरा	1,703
कुल		**9,863**

अनुबंध -V

लोक सभा में दिनांक 17.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3478 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-V

जेजेएम: 11.12.2024 तक ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

संख्या लाख में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल ग्रामीण परिवार	15.8.2019 तक नल जल आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवार		15.8.2019 से ग्रामीण परिवारों को दिए गए नल जल कनेक्शन		11.12.2024 तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार		11.12.2024 तक शेष परिवार	
			संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.62	0.29	46.02	0.33	53.98	0.62	100.00	-	-
2	अरुणाचल प्र.	2.29	0.23	9.97	2.06	90.03	2.29	100.00	-	-
3	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.85	0.00	0.00	0.85	100.00	0.85	100.00	-	-
4	गोवा	2.64	1.99	75.44	0.65	24.56	2.64	100.00	-	-
5	गुजरात	91.18	65.16	71.46	26.02	28.54	91.18	100.00	-	-
6	हरियाणा	30.41	17.66	58.08	12.75	41.92	30.41	100.00	-	-
7	हिमाचल	17.09	7.63	44.6	9.46	55.36	17.09	100.0	-	-

	प्रदेश			4				0		
8	मिजोरम	1.33	0.09	6.91	1.24	93.09	1.33	100.00	-	-
9	पुदुचेरी	1.15	0.94	81.33	0.21	18.67	1.15	100.00	-	-
10	पंजाब	34.27	16.79	48.98	17.48	51.02	34.27	100.00	-	-
11	तेलंगाना	53.98	15.68	29.05	38.30	70.95	53.98	100.00	-	-
12	बिहार	167.48	3.16	1.89	157.19	93.86	160.36	95.75	7.12	4.25
13	उत्तराखंड	14.50	1.30	8.99	12.77	88.02	14.07	97.01	0.43	2.99
14	लद्दाख	0.41	0.01	3.48	0.38	92.57	0.39	96.05	0.02	3.95
15	नागालैंड	3.64	0.14	3.82	3.23	88.72	3.37	92.53	0.27	7.47
16	लक्षद्वीप	0.13		0.00	0.12	91.17	0.12	91.17	0.01	8.83
17	सिक्किम	1.33	0.70	52.96	0.50	37.73	1.20	90.69	0.12	9.31
18	महाराष्ट्र	146.81	48.44	32.99	80.16	54.60	128.59	87.60	18.21	12.40
19	तमिलनाडु	125.29	21.76	17.37	88.43	70.58	110.19	87.95	15.10	12.05
20	उत्तर प्र.	266.91	5.16	1.93	225.95	84.66	231.12	86.59	35.79	13.41
21	त्रिपुरा	7.51	0.25	3.26	6.09	81.20	6.34	84.47	1.17	15.53
22	जम्मू और कश्मीर	19.23	5.75	29.92	9.77	50.81	15.53	80.72	3.71	19.28
23	असम	72.11	1.11	1.54	57.48	79.72	58.60	81.26	13.51	18.74
24	मेघालय	6.51	0.05	0.70	5.25	80.66	5.30	81.36	1.21	18.64
25	मणिपुर	4.52	0.26	5.74	3.34	73.85	3.59	79.58	0.92	20.42
26	छत्तीसगढ़	50.05	3.20	6.39	36.73	73.39	39.93	79.78	10.12	20.22

27	कर्नाटक	101.31	24.51	24.19	58.51	57.75	83.02	81.94	18.29	18.06
28	ओडिशा	88.70	3.11	3.50	64.22	72.40	67.33	75.90	21.37	24.10
29	आंध्र प्रदेश	95.53	30.74	32.18	39.64	41.49	70.38	73.67	25.15	26.33
30	मध्य प्र.	111.92	13.53	12.09	60.98	54.49	74.51	66.58	37.41	33.42
31	झारखंड	62.55	3.45	5.52	30.71	49.10	34.16	54.61	28.39	45.39
32	केरल	70.83	16.64	23.49	21.67	30.59	38.31	54.08	32.52	45.92
33	राजस्थान	107.55	11.74	10.92	47.21	43.90	58.96	54.82	48.59	45.18
34	पश्चिम बंगाल	175.40	2.15	1.22	92.22	52.58	94.36	53.80	81.04	46.20
	कुल	**19,36.02**	**3,23.63**	**16.72**	**12,11.90**	**62.60**	**15,35.54**	**79.31**	**4,00.48**	**20.69**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

*****